हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग

संख्याःइ.एक्स0एन-एफ(10)-43/2017 तारीखः शिमला-2 27 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना सं070/2017-राज्य कर

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर 1. (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये तारीख 21 दिसम्बर, 2017 से प्रवृत होंगे।
- हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में.--2.
- (i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. शून्य दर पूर्तियां और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का	बीजक	के ब्यौरे		शिपि	प्रेंग बिल <i>∕</i>	एकीव	ृत कर		केंद्री	य कर		राज्य	/संघ रा	ज्यक्षेत्र	उपकर
जीएसटीआईएन				निय	ति का बिल							कर			
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय	रकम	दर	कराधेय	रकम	दर	कराधेय	रकम	
							मूल्य			मूल्य			मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
६क. निर्यात															
6ख. विशेष आधि	र्थंक जो	न इकाई	या विशे	ष आ	र्थिक जोन विव	गसकर	र्ना को की	गई पूर्	र्तियां		•		•	•	
6ग. समझे गए	निर्यात	1	1	ı	l	1	1	ı	I	I	I	1	1	ı	1
															"· '

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01,-

- (क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, "समझे गए निर्यात या प्राप्तिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता / समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार" शब्द रख जाएंगे;
- (ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 1क [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय किस्मः विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त पूर्तियों के आवक आवक बीजकों के ब्यौरे				C1			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौर			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत	केंद्रीय	राज्य / संघ	सं.	तारीख	कराधेय	एकीकृत	केंद्रीय	राज्य / संघ		
				कर	कर	राज्यक्षेत्र कर			मूल्य	कर	कर	राज्यक्षेत्र कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
												".		

(ग) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 5ख [नियम 89 (2) (छ)]

प्रतिदाय किरमः समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रूपए में)

कम सं.	कें ब		तेदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों गौरे / प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय की दशा में आवक ों के ब्यौरे		संद	त्त कर	
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							."

(घ) घोषणा [नियम 89 (2) (छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"घोषणा [नियम 89 (2) (छ)]
(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता / पूर्तिकार के लिए)
प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में
मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए
दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए
इननुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं
किया है।
पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में
 मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए
। गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी
प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।
हस्ताक्षर
नाम— पदनाम / प्रास्थिति";

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पिटत धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई हैं तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूंगा।

हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम / प्रास्थिति ;

- (iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-
- (क) सारणी ७ में, खंड (छ) में, "समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता" शब्दों के स्थान पर "समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता / समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) घोषणाः [नियम ८९ (२) (च)] के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"घोषणा [नियम 89 (2) (छ)]
(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता / पूर्तिकार)
प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में
मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए
दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए
इननुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं
किया है।
प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में
मैं, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए
दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी
प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।
हस्ताक्षर
नाम— पदनाम / प्रास्थिति" ;

वचनबंध

मैं एतद् द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षायें पूरी नहीं हुई हैं तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूंगा।

हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम / प्रास्थिति" ;

(ग) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"विवरण 1क [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय किस्मः विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप् बीज	त पूर्ति नकों के ब		C.			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत	केंद्रीय	राज्य / संघ	सं.	तारीख	कराधेय	एकीकृत	केंद्रीय	राज्य / संघ	
				कर	कर	राज्यक्षेत्र कर			मूल्य	कर	कर	राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												".	

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"विवरण 5ख [नियम 89 (2) (छ)]

प्रतिदाय किरमः समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रूपए में)

क्रम ·	पूर्तिव	गर द्वारा प्र	तिदाय का दावा करने		संव	दत्त कर	
सं.	का व	दशा म जा भीरे / मास्त्रि	वक पूर्तियों के बीजकों कर्ता द्वारा प्रतिदाय का				
		•	दशा में आवक पूर्तियों				
		ोजकों के ब	۲۱				
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत	केंद्रीय	राज्य / संघ	
				कर	कर	राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							."

आदेश द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव(आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार

टिप्पण— मूल नियम, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.एक्स.एन—एफ(10)—13/2017, तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 55/2017—राज्य कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 को जो सं0 ईएक्सएन—एफ(10)—20/2016—वॉल.—I तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जारी किया गया ।

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-43/2017 dated 27/12/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh Excise and Taxation Department

No. EXN-F(10)-43/2017 Dated: Shimla-2 Dated 27th December, 2017

Notification No. 70/2017-State Tax

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services

 Tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from 21st December, 2017.
- 2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, -
 - (i) in **FORM GSTR-1**, for Table 6, the following shall be substituted, namely:-

"6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN	In	voice de	etails	Ship	pping	In	tegrated T	ax	(Central Tax	ζ.	St	ate /UT Ta	ax	Cess
of				bill/	Bill of										
recipient				ex	port										
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable	Amt.	Rate	Taxable	Amt	Rate	Taxable	Amt	
							value			value			value		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6A. Expor	rts			•	•	•									
6B. Suppl	ies ma	de to S	EZ unit	or SEZ	Devel	oper				1			1		•
6C. Deem	ed exp	orts		ı	I	ı	I		1			1	1	1	ı
															";

(ii) in FORM GST RFD-01,-

- (a) in Table 7, in clause (h), for the words "Recipient of deemed export", the words "Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies" shall be substituted;
- (b) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.				1 1				ils of in lies issu	voices of outward	Tax paid on outward supplies			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ Union territory Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												",	

(c) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	in ca supplier	se refun r/Details o s in case	es of outward supplies ad is claimed by of invoices of inward refund is claimed by			Tax paid	
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State / Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							.",

(d) for the DECLARATION [rule 89(2)(g)], the following shall be substituted, namely:-

"DECLARATION [rule 89(2)(g)]
(For recipient/supplier of deemed export)
In case refund claimed by recipient
I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the
tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the
valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said
supplies.
In case refund claimed by supplier
I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the
tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the
said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.
Signature
Name – Designation / Status

<u>UNDERTAKING</u>
hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found
absequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of
ne CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.
ignature
Tame – Designation / Status";
(iii) in FORM GST RFD-01A ,- (a) in Table 7, in clause (g), for the words "Recipient of deemed export", the words "Recipient of deemed export"
supplies/ Supplier of deemed export supplies" shall be substituted;
(b) after the DECLARATION [rule 89(2)(f)], the following shall be inserted, namely:-
((DEIGHADAENONE L. 00(A)(.))

"DECLARATION [rule 89(2)(g)]							
(For recipient/supplier of deemed export)							
In case refund claimed by recipient							
I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the							

tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the							
valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said							
supplies.							
In case refund claimed by supplier							
I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the							
tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies							
and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.							
Signature							
Name –							
Designation / Status							

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature Name –

Designation / Status";

(c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received			Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												",

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	supp clain invo	olies med by oices o	invoices of outward in case refund is y supplier/ Details of of inward supplies in and is claimed by	Tax paid						
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	Cess			
1	2	3	4	5	6	7	8 ,,			

By Order,

Additional Chief Secretary (E&T) to the Government of Himachal Pradesh

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017, published vide number EXN-F(10)-13/2017, dated the 29th June, 2017 and last amended vide notification No. 55/2017-State Tax, dated 15th November, 2017, published vide number EXN-F(10)-20/2016-Vol.I, dated 15th November, 2017.